

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ (खीरी), डिबाई (बुलन्दशहर), खैर (अलीगढ़), शामली (शामली), रूदौली (अयोध्या), मऊ (मऊनाथभंजन), बिसवां (सीतापुर), महमूदाबाद (सीतापुर), झींझक (कानपुर देहात), अलीगंज (एटा), बिलरियागंज (आजमगढ़), साण्डी (हरदोई), बेल्ला (प्रतापगढ़)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ (खीरी), डिबाई (बुलन्दशहर), खैर (अलीगढ़), शामली (शामली), रूदौली (अयोध्या), मऊ (मऊनाथभंजन), बिसवां (सीतापुर), महमूदाबाद (सीतापुर), झींझक (कानपुर देहात), अलीगंज (एटा), बिलरियागंज (आजमगढ़), साण्डी (हरदोई), बेल्ला (प्रतापगढ़) में स्थित तालाबों के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु **₹. 709.04 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में **₹0 355.00 लाख (₹0 तीन करोड़ पचपन लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

#### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
  9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
  11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
  12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
  13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
  14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,55,00,000 ( रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
14.02.2024  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-305/2024/1016/नौ-5-2024/002-Computer No 1776474-NJPTSY, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
- 9-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,  
14.02.2024  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	खीरी	नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ	गोला गोकर्णनाथ सीमान्तगत स्थित भद्रकुण्ड तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	97.04	50.00
2.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, डिबाई	वार्ड नं० 18 में गांधी तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.86	20.00
3.	अलीगढ़	नगर पालिका परिषद, खैर	मोहल्ला मालीपुरा में पालीराम आश्रम के पास तालाब का जीर्णोद्धार एवं तालाब की बाउन्ड्रीवाल एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	75.11	37.00
4.	शामली	नगर पालिका परिषद, शामली	रेलपार स्थित तालाब की दीवार का उच्चीकरण, साइड सीडी का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	61.59	30.00
5.	अयोध्या	नगर पालिका परिषद, रूदौली	मा देवकाली वार्ड में शमशान घाट के समीप सुरहूर तालाब की खुदाई, सीडी निर्माण, आर०सी०सी० बेंच एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण सहित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	38.67	19.00
6.	मऊ	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन	वार्ड नं० 4 काझाखुर्द में शंकर जी की मन्दिर के पास आराजी नं० 650 में स्थित पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	58.48	29.00
7.	सीतापुर	नगर पालिका परिषद, बिसवां	मो० शंकरगंज स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	29.84	15.00
		नगर पालिका परिषद, बिसवां	मो० अमर नगर में आसरा कालोनी के सामने स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.86	15.00
		नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद	मोहल्ला गुलामऊ में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.38	25.00
8.	कानपुर देहात	नगर पालिका परिषद, झीझक	वार्ड नं० 19 द्वारिकागंज के गाटा सं०-450 घ तालाब पर तटबन्ध, फेसिंग वाल, पाथवे, सीढ़ियों, बेच, इनलेट व आउटलेट का कार्य।	50.00	25.00
9.	एटा	नगर पालिका परिषद, अलीगंज	हुरमत अली के गोदाम के पीछे तालाब का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.00	25.00
10.	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, बिलरियागंज	हाजीपट्टी पोखरे के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.00	25.00
11.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, साण्डी	नगर पालिका परिषद, साण्डी के अन्तर्गत तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.90	20.00
12.	प्रतापगढ़	नगर पालिका परिषद, बेल्ला	वार्ड चिलबिला में स्थित तालाब गाटा संख्या-1274 क्षेत्रफल 0.76 हे० का तटबन्ध निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	38.31	20.00
योग:-				709.04	355.00

₹ 355.00 लाख (₹ 355 लाख पचपन लाख मात्र)

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-14/02/2024

प्रेषण संख्या:- 305  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-305-2024-1016-9-5-2024-002-CN-1776474-NJPTSY  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
2	अलीगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3700000 3700000	3700000 3700000
3	एटा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
4	आजमगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
5	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5500000 10000000	5500000 10000000
6	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 6490000	2000000 6490000
7	लखीमपुर खीरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
8	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1900000 1900000	1900000 1900000
9	प्रतापगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
10	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
11	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2900000 31190000	2900000 31190000
12	शामली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	35500000 72780000	35500000 72780000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पचपन लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ सत्ताइस लाख अस्सी हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव